अध्याय V

चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में भारतीय लेखाकरण मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

5.1 प्रस्तावना

वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग के कारण सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, वित्त, पूंजी और उत्पादों की सीमा पार आवाजाही हुई है, जिसके लिए में उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक लेखाकरण मानकों का एक सेट आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलें का मंत्रालय (16 फरवरी 2015) ने भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया, जिसमें अब तक लागू भारतीय सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (आईजीएएपी) को वैश्विक मानकों, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ शामिल किया है। इंड एएस को भारतीय आर्थिक और कानूनी माहौल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं यानी उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप पर सामग्री और बैलेंस शीट पर जोर देने में पहले के आईजीएएपी ढांचे से अलग है। इंड एएस को चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2016 से कंपनियों की निर्धारित श्रेणी की कम्पनियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाया जाना है। 31 मार्च 2020 तक, 39 इंड एएस लागू हैं (*अनुलग्नक XXXVII*)।

5.2 भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन

कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 में इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (एनबीएफसी) कार्यान्वयन के तीसरे और अंतिम चरण में आती है, जैसा कि विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1 इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए रोड़मेप

चरण	वित्तीय/लेखा वर्ष की शुरुआत	इंड एएस को कार्यान्वित करने वाली कंपनियों की श्रेणी*
चरण I	01.04.2016	जिन कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और उनका निवल धन ₹ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है।
		ऊपर शामिल किए गए के अलावा ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल धन वाली कम्पनियाँ।
		ऊपर शामिल की गई कंपनियों की नियंत्रक, सहायक, संयुक्त वेंचर या संबंध कम्पनियाँ।
चरण II	01.04.2017	जिन कंपनियों की इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं या भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका निवल धन ₹ 500 करोड़ से कम है।
		फेज-1 में शामिल उन कंपनियों के अलावा अन्य असूचीबद्ध कंपनियाँ जिनका निवल धन ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक है लेकिन ₹ 500 करोड़ से कम है।
		ऊपर शामिल की गई कंपनियों की नियंत्रक, सहायक, संयुक्त वेंचर या संबंध कंपनियाँ।
चरण III	01.04.2018	₹ 500 करोड़ या उससे अधिक निवल धन वाले एनबीएफसी।
		ऊपर शामिल एनबीएफसी की नियंत्रक, सहायक, संयुक्त वेंचर या संबंध एनबीएफसी।
	01.04.2019	एनबीएफसी जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका निवल धन ₹ 500 करोड़ से कम है।

	एनबीएफसी, जो असूचीबद्ध हैं, जिनका निवल धन ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक है, लेकिन ₹ 500 करोड़ से कम है; और
	ऊपर शामिल एनबीएफसी की संयुक्त वेंचर, सहायक, संयुक्त वेंचर या सम्बद्ध एनबीएफसी।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत शामिल नहीं की गयी कंपनियाँ/एनबीएफसी पहले के मानकों (आईजीएएपी) को लागू करना जारी रख सकती हैं या स्वेच्छा से इंड एएस को अपना सकती हैं। लेकिन, एक बार यदि उन्होंने इंड एएस के अनुसार रिपोर्टिंग शुरू की, तो वे आईजीएएपी पर वापस नहीं लौट सकते।

कारपोरेट मामलें मंत्रालय की 30 मार्च 2016 की अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 को विधिवत अधिसूचित करते हुए, एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (एनबीएफसी) को नियम 2 (1) (जी) के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> ***एक 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ है एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 के खंड (एफ) में परिभाषित किया गया है और इसमें आवास वित्त कंपनियाँ, व्यापार कंपनियाँ, माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ, परस्पर लाभ कंपनियाँ, उद्यम पूँजी कोष कंपनियाँ, स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर कंपनियाँ, निधि कंपनियाँ, चिट कंपनी, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियाँ, गिरवी गारंटी कंपनियाँ, पेंशन फंड कंपनियाँ, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ और कोर निवेश कंपनियाँ शामिल हैं।***

इंड एएस के कार्यान्वयन में निम्नलिखित मुख्य उपाय शामिल थे:

- **सभी मामलों में, इंड एएस में अनुगमन की तारीख पिछले वर्ष की 1 अप्रैल थी। उदाहरण के लिए, एनबीएफसी के मामले में, जिसने 01.04.2018 से इंड एएस को अपनाया था, परिवर्तन की तारीख 01.04.2017 थी। पहले इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए तुलनात्मक अवधि 2017-18 थी।**
- **एनबीएफसी को तीन बैलेंस शीट तैयार करनी थी यथा 01.04.2017 को शुरुआती इंड एएस बैलेंस शीट, 31 मार्च 2018 को इंड एएस बैलेंस शीट और 31 मार्च 2019 को इंड एएस बैलेंस शीट।**

- इंड एएस के अनुसार दो लाभ और हानि लेखे तैयार किए जाने की आवश्यकता थी अर्थात् 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।
- इक्विटी में बदलाव का विवरण 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार किया जाना आवश्यक था।

5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन का निर्धारण करने और एनबीएफसी के वित्तीय विवरणों में इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एनबीएफसी में इंड एएस के कार्यान्वयन का अध्ययन करना था।

5.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस अध्ययन में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र में एनबीएफसी को शामिल किया गया था, जिन्हें 2018-19 और 2019-20 के दौरान इंड एएस को अपनाने या स्वेच्छा से इंड एएस को अपनाने की आवश्यकता थी। 35 एनबीएफसी जिन्होंने इंड एएस को अपनाया है, विभिन्न क्षेत्रों में से 19 एनबीएफसी के लेखापरीक्षा नमूने का चयन विभिन्न क्षेत्रों में निवलधन, कर के बाद लाभ और टर्नओवर के आधार पर सेक्टर के प्रतिनिधित्व पर विधिवत विचार करते हुए किया गया था (*अनुलग्नक XXXVIII*)।

इंड एएस कार्यान्वयन के चरण 1 और चरण II का अध्ययन पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था और इंड एएस के कार्यान्वयन पर एक अध्याय को क्रमशः सीएजी की 2018 की रिपोर्ट संख्या 18 और सीएजी की 2019 की रिपोर्ट संख्या 18 (सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट) में शामिल किया गया था।

5.5 लेखापरीक्षा कार्यविधि

एनबीएफसी द्वारा इंड एएस को लागू करने में परिशुद्धता का सत्यापन इंड एएस को अपनाने के प्रथम वर्ष और बाद के वर्षों के समय एनबीएफसी के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान किया गया था। इस अध्याय में, हमने चयनित एनबीएफसी के वित्तीय विवरणों पर इंड एएस को अपनाकर लाए गए परिवर्तनों के प्रभाव की सूचना दी है।

लेखापरीक्षा नमूने में 19 एनबीएफसी के असम्पर्कित वित्तीय विवरण, जिन्होंने अपने वित्तीय विवरणों को अनिवार्य रूप से या स्वेच्छा से तैयार करने के लिए तीसरे चरण में इंड एएस को अपनाया है, लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई है। कर के बाद उनके लाभ, राजस्व, निवल धन और कुल परिसंपत्तियों पर इन एनबीएफसी में इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण, राजस्व मान्यता में इंड एएस को अपनाने, वित्तीय उपकरणों और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के मूल्यांकन, कर्मचारी लाभ की गणना, व्यापार संयोजनों के लेखांकन और वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के परिणामस्वरूप हुए के संदर्भ में था। एनबीएफसी द्वारा इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए नियामकों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की भी जांच की गई।

5.6 सीएजी की टिप्पणी के बाद इंड एएस को अपनाना

लेखापरीक्षा नमूने में एक एनबीएफसी, एसबीआई पेंशन फंड (पी) लिमिटेड ने 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में इंड एएस को नहीं अपनाया, हालांकि कार्यान्वयन रोडमैप के अनुसार चरण III में 01.04.2018 से ऐसा करना आवश्यक था। हालांकि, चूक की ओर इशारा करते हुए लेखों के प्रमाणीकरण के समय सीएजी की टिप्पणी (8 जुलाई 2019) जारी किए जाने के बाद, निदेशक मंडल ने इंड एएस और एनबीएफसी के अनुसार वित्तीय विवरणों को संशोधित करने का फैसला किया, इसके बाद इंड एएस के अनुसार लेखे तैयार किए।

5.7 इंड एएस को पहली बार अपनाने पर छूट

इंड एएस 101 का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि पहली बार अपनाने वाले को वित्तीय विवरण तैयार करना चाहिए जैसे कि उसने हमेशा इंड एएस लागू किया था। हालांकि, इसने इंड एएस के पूर्वव्यापी लागू करने के सिद्धांत को अनिवार्य और वैकल्पिक छूट की अनुमति दी। अनिवार्य छूटें इंड एएस 10 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं, इंड एएस 109 - वित्तीय साधन और इंड एएस 110 - समेकित वित्तीय विवरण के कुछ पहलुओं के पूर्वव्यापी लागू करने से संबंधित हैं।

उन एनबीएफसी की वैकल्पिक छूटों और संख्या के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं जिन्होंने उनका लाभ उठाया:

वैकल्पिक छूटों और उनका लाभ उठाने वाली एनबीएफसी की संख्या के संबंध में विवरण तालिका 5.2 में दिए गए हैं।

तालिका 5.2 एनबीएफसी द्वारा लाभ उठायी गयी वैकल्पिक छूटों के विवरण

क्र. सं.	इंड एएस की वैकल्पिक छूट	उन एनबीएफसी की संख्या जिन्होंने छूट प्राप्त की
1	इंड एएस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) इंड एएस, पहली बार अपनाने वाले को, इसके उचित मूल्य पर इंड एएस के रूप में परिवर्तन की तारीख को इसके पीपीई को मापने का चुनाव करने की अनुमति देता है या पहले आईजीएएपी के अनुसार इसके पीपीई के वहन मूल्य के साथ जारी रखता है और देनदारियों को बंद करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद परिवर्तन की तारीख में इसकी मानी गयी लागत के रूप में उसका उपयोग करता है। ये छूट, इंड एएस 38 के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों और इंड एएस 40 के तहत निवेश संपत्ति पर भी लागू होती है।	13[72] एनबीएफसी
2	इंड एएस 27 - अलग वित्तीय विवरण	6[73]

[72] *13 एनबीएफसी - एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड, मुद्रा, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई डीएचएचआई लिमिटेड, एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्योरिटीज लिमिटेड, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*

[73] *6 एनबीएफसी - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*

क्र. सं.	इंड एएस की वैकल्पिक छूट	उन एनबीएफसी की संख्या जिन्होंने छूट प्राप्त की
	इंड एएस 27 एक इकाई के लिए, सहायक, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई और सहयोगियों में अपने निवेश के लिए, या तो लागत पर या इंड एएस 39 वित्तीय साधनों के अनुसार लेखांकन को आवश्यक बनाता है।	एनबीएफसी
3	इंड एएस 109 - वित्तीय साधन इंड एएस 109 के अनुसार, एक कंपनी, इंड एएस में परिवर्तन की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति को नामित कर सकती है।	5[74] एनबीएफसी
4	इंड एएस 103-पिछला कारोबार संयोजन एक कंपनी परिवर्तन की तारीख से पहले हुए पिछले कारोबार संयोजनों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से इंड एएस 103 लागू नहीं करना चुन सकती है।	1[75] एनबीएफसी

5.8 चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव:

लेखापरीक्षा नमूने में इंड एएस के कार्यान्वयन ने कर के बाद लाभ (पीएटी), राजस्व, कुल परिसंपत्ति और एनबीएफसी के निवल धन को प्रभावित किया। विभिन्न मदों के लेखांकन निरूपण में अंतर के कारण और इंड एएस को अपनाने के समय एनबीएफसी द्वारा प्राप्त

---

[74] 5 एनबीएफसी - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

[75] पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

छूटों के आधार पर भी मूल्यों में वृद्धि या कमी आई। समीक्षा के लिए चयनित 19 एनबीएफसी के संबंध में इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव पर नीचे चर्चा की गई है।

5.8.1 कर के बाद लाभ (पीएटी) पर प्रभाव

19 एनबीएफसी पर पीएटी पर प्रभाव *अनुलग्नक XXXIX* में दिया गया है। लेखापरीक्षा नमूने में 19 एनबीएफसी में से;

- **सात एनबीएफसी में पीएटी में वृद्धि दर्ज की गई।**
- **10 एनबीएफसी में पीएटी में कमी दर्ज की गई।**
- **दो एनबीएफसी के संबंध में पीएटी पर कोई असर नहीं पड़ा।**
- **सात एनबीएफसी के संबंध में, पीएटी पर 50 प्रतिशत से ज्यादा का भौतिक प्रभाव रहा।**
- **दो एनबीएफसी में, लाभ 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा और एक एनबीएफसी की हानि लाभ में बदल गयी।**

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 19 एनबीएफसी के संबंध में पीएटी में परिवर्तन में योगदान देने वाले घटकों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

5.8.1.1 पीएटी में बदलाव के लिए योगदान देने वाले घटक

मुख्य मद, जिन्होंने पीएटी में बदलाव के लिए योगदान दिया निम्नलिखित थे:

क. रोजगारोपरान्त लाभों के प्रतिदेयताओं का मूल्यांकन

आईजीएएपी के तहत, रोजगारोपरान्त लाभों के प्रति देयताओं के मापन के कारण उद्भूत अंतर लाभ और हानि लेखाओं का भाग बना। हालांकि, इंड एएस के तहत, इस तरह के अंतर यानी, बीमांकिक लाभ या हानि को 'अन्य व्यापक आय' के तहत माना गया था और उन्हें लाभ और हानि लेखा में स्वीकार करने के बजाय सीधे प्रतिधारित आय में ले जाया गया था। जबकि लाभ/हानि को 'अन्य व्यापक आय' में ले जाया जाता है, यह नए लाभ और हानि लेखा में लाभ में वृद्धि या कमी के माध्यम से आईजीएएपी के तहत लाभ और हानि लेखा में पहले स्वीकार किए गए लाभ/हानि को प्रभावित करता है। इस निरूपण के कारण लाभ/हानि में परिवर्तन, 19 में से सात एनबीएफसी में देखा गया था अर्थात:

एक एनबीएफसी में लाभ में वृद्धि

- **एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (₹ 0.44 करोड़)**

छह एनबीएफसी में लाभ में कमी

- **एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (₹ 0.05 करोड़)**
- **एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.07 करोड़)**
- **एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड (₹ 0.61 करोड़)**
- **एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़)**
- **एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़)**
- **इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 2.97 करोड़)**

ख. आस्थगित करों की स्वीकृति/प्रतिवर्तन

इंड एएस 12 - आयकर मे, बैलेंस शीट और उसके कर आधार में परिसंपत्ति या देयता वहन राशि के बीच नए अस्थायी अंतरों पर आस्थगित कर की स्वीकृति की जरूरत थी। यह आईजीएएपी के तहत एक जरूरत नहीं थी। यदि एनबीएफसी के पास पहले से ही आईजीएएपी के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति है, तो इंड एएस के तहत उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कोई अन्य वृद्धि उसके लाभ में वृद्धि करेगी और इसका विलोम भी सत्य है। इस निरूपण के कारण लाभ/हानि में परिवर्तन, 19 एनबीएफसी में से 13 में देखा गया था जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

छह एनबीएफसी में लाभ में वृद्धि

- **पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 1025.67 करोड़)**
- **आरईसी लिमिटेड (₹ 740.83 करोड़)**
- **एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (₹ 7.09 करोड़)**
- **एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (₹ 4.48 करोड़)**
- **एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड (₹ 2.68 करोड़)**
- **एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (₹ 1.51 करोड़)**

सात एनबीएफसी में लाभ में कमी

- **इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 780.23 करोड़)**
- **आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (₹ 107.01 करोड़)**
- **पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (₹ 18.80 करोड़)**
- **मुद्रा लिमिटेड (₹ 4.06 करोड़)**
- **एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड (₹ 3.58 करोड़)**
- **एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड (₹ 2.51 करोड़)**
- **एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (₹ 2.25 करोड़)**

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश/परिसंपत्तियों का मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों[76] और वित्तीय देयताओं का आईजीएएपी के तहत लागत पर वहन किया जाता है जबकि इंड एएस के तहत, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)[77] लागू करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में निवेश के मूल्य में या तो वृद्धि या कमी हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप आगे लाभ में या तो वृद्धि या कमी आएगी। इस निरूपण के कारण लाभ/हानि में परिवर्तन को 19 में से 15 एनबीएफसी में देखा गया था निरूपण जैसाकि नीचे विवरण में दिया गया है:

10 एनबीएफसी में लाभ में वृद्धि

- **इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 328.62 करोड़)**
- **पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (₹ 57.05 करोड़)**
- **आरईसी लिमिटेड (₹ 37.70 करोड़)**
- **आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (₹ 22.19 करोड़)**
- **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (₹ 15.83 करोड़)**

---

[76] वित्तीय साधन जो एक संविदा के माध्यम से या तो परिसंपत्तियों या देयता को बढ़ावा देते हैं।

[77] प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित कार्यकाल पर अनुमानित भावी नकद भुगतान या प्राप्तियों को छूट देती है।

- **एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड (₹ 12.89 करोड़)**
- **एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड (₹ 7.51 करोड़)**
- **एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड (₹ 4.85 करोड़)**
- **आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.06 करोड़)**
- **मुद्रा लिमिटेड (₹ 0.26 करोड़)**

पांच एनबीएफसी में लाभ में कमी

- **पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 64.27 करोड़)**
- **एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (₹ 14.76 करोड़)**
- **एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (₹ 20.93 करोड़)**
- **एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.79 करोड़)**
- **ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (₹ 0.31 करोड़)**

घ. अयुग्मन (Impairment) की अनुमति और अशोद्धय और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

आईजीएएपी के तहत नियामक यथा, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों को ऋण की क्षति का प्रावधान किया गया था। इंड एएस 109 के तहत, ऋण पर क्षति हानि के साथ-साथ व्यापार प्राप्तियों के प्रति प्रावधान का प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)[78] विधि के आधार पर निर्धारण किया जाना होता है।

इंड एएस ढाँचे के तहत एनबीएफसी द्वारा अपनाए गए ईसीएल मॉडल प्रावधान को बढ़ा सकता है जिससे लाभ में कमी आ सकती है या प्रावधान में कमी आ सकती है जिससे लाभ में वृद्धि हो सकती है। ईसीएल विधि के आधार पर अशोद्धय और संदिग्ध ऋणों के

---

[78] प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) - ईसीएल, वह अंतर होता है जो उन सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों जो संविदा के अनुसार एंटिटी को देय होते हैं और उन सभी नकदी प्रवाहों, जिनकी मूल प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर छूट देते हुए एंटिटी को प्राप्त होने (अर्थात् सभी नकदी कमी) की आशा हो, के बीच हो।

प्रावधानों की स्वीकृति के कारण 19 एनबीएफसी में से आठ के संबंध में लाभ/हानि में परिवर्तन देखा गया जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

पांच एनबीएफसी में लाभ में वृद्धि

- **इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 1,458.07 करोड़)**
- **एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (₹ 6.63 करोड़)**
- **मुद्रा लिमिटेड (₹ 6.42 करोड़)**
- **एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (₹ 5.07 करोड़)**
- **आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.62 करोड़)**

तीन एनबीएफसी में लाभ में कमी

- **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (₹ 387.52 करोड़)**
- **पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 1,824.94 करोड़)**
- **आरईसी लिमिटेड (₹ 875.38 करोड़)**

ङ. अपफ्रंट फीस और ऋण से आय की स्वीकृति

आईजीएएपी के तहत, ग्राहकों से अपफ्रंट फीस की लेनदेन के बिंदु पर लाभ और हानि लेखा में स्वीकृति प्रदान की गयी है, जबकि इंड एएस के तहत ऐसी लागतें वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक स्वीकृत राशि में शामिल होती हैं और ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज से आय के रूप में स्वीकृत हैं। इसके अलावा, इंड एएस के अनुसार, ईआईआर का उपयोग करके ऋणों पर आय और वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं/उधार लेने की लागतों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया गया था/आंका गया था। इस निरूपण के कारण लाभ/हानि में परिवर्तन को 19 में से पांच एनबीएफसी में देखा गया था यथा

दो एनबीएफसी में लाभ में वृद्धि

- **इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 595.83 करोड़)**
- **मुद्रा लिमिटेड (₹ 1.46 करोड़)**

तीन एनबीएफसी में लाभ में कमी

- **पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 543.84 करोड़)**

- आरईसी लिमिटेड (₹ 84.16 करोड़)
- एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड (₹ 1.18 करोड़)

च. पीएटी में बदलाव के अन्य कारण

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित परिसंपत्ति पर आय के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में विकल्प का प्रयोग एनबीएफसी द्वारा उचित मूल्यांकन पर किया गया था। इस निरूपण के कारण लाभ में परिवर्तन एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड {(-)₹5.07 करोड़} में देखा गया था।
- इंड एएस में, वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के मापन और एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में वर्गीकरण पर विस्तृत अपेक्षाएं दी गयी हैं। इसके कारण लाभ में परिवर्तन को आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (₹ 326.89 करोड़) और आरईसी लिमिटेड {(-)₹59.06 करोड़} में देखा गया था।

5.8.2 राजस्व पर प्रभाव

इंड एएस 18 के तहत राजस्व की परिभाषा में एक इकाई की गतिविधियों के साधारण क्रम में उत्पन्न होने वाले सभी आर्थिक लाभों को शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप निवल धन प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा निवल धन में वृद्धि होती है। आईजीएएपी (एएस 9 - राजस्व स्वीकृति) के अनुसार राजस्व को माल की बिक्री से, सेवाओं के प्रदान करने से और ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश देने वाले उद्यम संसाधनों के अन्य द्वारा उपयोग से एक उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान उद्भूत नकदी, प्राप्तियों या अन्य प्रतिफल के सकल अन्तप्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है।

19 एनबीएफसी में राजस्व के प्रभाव का ब्यौरा *अनुलग्नक XL* में दिया गया है। लेखापरीक्षा नमूने में 19 एनबीएफसी द्वारा इंड एएस को अपनाने के परिणामस्वरूप:

- 10 एनबीएफसी में राजस्व में वृद्धि हुई।
- छह एनबीएफसी में राजस्व में कमी हुई।
- तीन एनबीएफसी के राजस्व में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- चार एनबीएफसी के संबंध में 10 प्रतिशत से अधिक का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 19 एनबीएफसी के संबंध में राजस्व में प्रभाव मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण था:

क. एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड (₹ 5.77 करोड़), आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.07 करोड़), ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड {(-)₹0.31 करोड़} और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 329.52 करोड़) के मामले में उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/हानि।

ख. आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.20 करोड़), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड {(-)₹588.92 करोड़}, आरईसी लिमिटेड (₹ 50.30 करोड़) और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 747.11 करोड़) के मामले में इंड एएस 109 के अनुसार प्रभावी ब्याज दर के कारण ब्याज आय में वृद्धि।

ग. आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड (₹ 0.62 करोड़) के मामले में प्रत्याशित क्रेडिट हानि से संबंधित प्रतिलेखित प्रावधान।

5.8.3 कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव:

आईजीएएपी की तुलना में इंड एएस के तहत निर्धारित लेखांकन की पद्धतियों में अंतर के कारण इंड एएस के कार्यान्वयन पर परिसंपत्तियों का कुल मूल्य प्रभावित होता है अर्थात् इंड एएस 16 - सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), इंड एएस 38 - अमूर्त परिसंपत्ति, इंड एएस 32 - वित्तीय संसाधन: प्रस्तुतीकरण, इंड एएस 109 - वित्तीय संसाधन और इंड एएस 40 - निवेश संपत्ति।

इंड एएस 101 में पहली बार अपनाने वाले को, अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के लिए वहन मूल्य के साथ जारी रखने के चयन की अनुमति दी, जैसा कि इंड एएस में परिवर्तन की तारीख को आईजीएएपी के तहत तैयार वित्तीय विवरणों में स्वीकार किया गया है। वहन मूल्य को डी-कमीशनिंग देयताओं के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद परिवर्तन की तारीख को इसकी मानी गई लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस छूट का उपयोग इंड एएस 38 - अमूर्त परिसंपत्तियों और इंड एएस 40 - निवेश संपत्ति के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए भी किया जा सकता था।

19 एनबीएफसी में परिसंपत्तियों के प्रभाव का ब्यौरा *अनुलग्नक XLI* में दिया गया है। अध्ययन में शामिल 19 एनबीएफसी में से;

- आठ एनबीएफसी की परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज की गई।
- नौ एनबीएफसी की परिसंपत्तियों में कमी दर्ज की गई।

➢ दो एनबीएफसी की परिसंपत्तियों में कोई बदलाव नहीं था।

➢ दो एनबीएफसी के संबंध में 5 प्रतिशत से अधिक का असर रहा।

5.8.3.1 परिसंपत्तियों में परिवर्तन के लिए योगदान देने वाले कारक:

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 19 एनबीएफसी के संबंध में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन (*अनुलग्नक XLI*) मुख्यतया निम्नलिखित के कारण था:

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (₹ 663.78 करोड़), एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड {(-)₹20.28 करोड़}, एसबीआई फंड मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड (₹ 48.92 करोड़), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 459.87 करोड़), आरईसी लिमिटेड (₹ 239.71 करोड़) और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 810.29 करोड़) के संबंध में निवेश का उचित मूल्यांकन।

ख. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (₹ 13.29 करोड़) के मामले में व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि।

ग. मुद्रा लिमिटेड {(-)₹-30.36 करोड़}, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड {(-)₹1,500.36 करोड़} और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड {(-)₹172.34 करोड़} के संबंध में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की स्वीकृति के साथ वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक स्वीकार की गयी राशि में अपफ्रंट फीस को शामिल करने के लिए और अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के अनुसार क्षति प्रावधान।

घ. मुद्रा लिमिटेड {(-)₹1.51 करोड़} के मामले में प्रारंभिक खर्च को बट्टे खाते में डालना।

ङ. मुद्रा लिमिटेड {(-)₹10.87 करोड़}, एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड (₹ 8.65 करोड़), एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (₹ 3.52 करोड़), एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड {(-)₹21.53 करोड़}, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (₹ 12.99 करोड़), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन

लिमिटेड (₹ 4,848.17 करोड़), आरईसी लिमिटेड (₹ 2,971.06 करोड़) और एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड {(-)₹115.60 करोड़} के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों में परिवर्तन, पूर्व आस्थगित कर देयता का प्रतिवर्तन और/या निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकृति।

च. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड {(-)₹36.76 करोड़} के मामले में हैल्ड टू मेच्योरिटी से मार्क टू मार्किट तक निवेश के मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव।

छ. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (₹ 110.29 करोड़) के मामले में इंड एएस 109 के अनुसार व्यापार के लिए रखे गए निवेश के मूल्यांकन में परिवर्तन।

ज. एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (₹ 325.20 करोड़) के मामले में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर आंके गए निवेश के कारण बुक किया गया अप्राप्त उचित मूल्य अभिलाभ।

झ. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड {(-)₹8,504.81 करोड़} और आरईसी लिमिटेड {(-)₹6,467.37 करोड़} के मामले में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ऋण परिसंपत्तियों का आंकना।

ञ. एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (₹ 371.44 करोड़) के मामले में इंड एएस 115 के तहत कार्ड अधिग्रहण लागत का परिशोधन।

5.8.4 निवल धन पर प्रभाव

निवल धन किसी कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य और देयताओं के मूल्य के बीच का अंतर होता है। निवल धन, प्रदत्त शेयर पूंजी, निर्बंध आरक्षित निधियों और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, संचित हानियों के कुल मूल्य, आस्थगित व्यय और बट्टे खाते में नहीं डाले गए विविध व्यय को कम करके प्राप्त होता है। निर्बंध आरक्षित निधियों में उन आरक्षित निधियों को शामिल नहीं किया जाता जो परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यह्रास के प्रतिलेखन और समामेलन से सृजित होती हैं।

इंड एएस 101 के अनुसार - पहली बार इंड एएस को अपनाने के लिए, इंड एएस में परिवर्तन की तारीख में एक ओपनिंग इंड एएस बैलेंस शीट तैयार की जानी है। आईजीएएपी के तहत शामिल राशि की तुलना में परिवर्तन की तिथि को परिसंपत्तियों और देयताओं की

शामिल राशि के बीच किसी भी अंतर को इंड एएस बैलेंस शीट में रखी गई आय के तहत निवल धन में स्वीकार किया जाना है।

19 एनबीएफसी में निवल धन के प्रभाव का ब्यौरा *अनुलग्नक XLII* में दिया गया है। लेखापरीक्षा नमूने में 19 एनबीएफसी में से;

- **आठ एनबीएफसी ने निवल धन में वृद्धि दर्ज की।**
- **नौ एनबीएफसी ने निवल धन में कमी दर्ज की।**
- **दो एनबीएफसी के मामले में निवल धन में कोई बदलाव नहीं था; और**
- **पांच एनबीएफसी के संबंध में, प्रभाव 10 प्रतिशत से ज्यादा था।**

5.8.4.1 निवल धन में बदलाव के लिए योगदान देने वाले घटक:

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 19 एनबीएफसी के संबंध में निवल धन में बदलाव में योगदान देने वाले मुख्य घटक (*अनुलग्नक XLII*) निम्नलिखित थे:

क. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (₹ 663.78 करोड़), एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड (₹ 48.92 करोड़), मुद्रा लिमिटेड (₹ 1.09 करोड़), एसबीआई डीएचएचआई लिमिटेड (₹ 17.49 करोड़), एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड {(-)₹19.51 करोड़}, एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड (₹ 325.20 करोड़), पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड {(-)₹24.44 करोड़}, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 236.77 करोड़), आरईसी लिमिटेड (₹ 239.71 करोड़) और एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड (₹ 6.75 करोड़) के मामलों में निवेश और अभिलाभ/हानि की मूल्यांकन पद्धति में उचित मूल्यांकन/परिवर्तन।

ख. एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (₹ 13.29 करोड़), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड {(-)₹1,808.06 करोड़}, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड {(-)₹8,393.91 करोड़} और आरईसी लिमिटेड {(-)₹6,405.99 करोड़} के मामलों में इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान करने के नीति में परिवर्तन/प्रत्याशित क्रेडिट हानि नमूने को अपनाने के कारण व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि/कमी।

ग. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (₹ 0.08 करोड़) के मामले में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उधार लेने की लागत का परिशोधन।

घ. एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड {(-)₹70.32 करोड़}, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड {(-)₹5.55 करोड़}, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड {(-)₹21.07 करोड़}, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड {(-)₹234.17 करोड़}, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 4,843.91 करोड़), आरईसी लिमिटेड (₹ 2,979.61 करोड़), एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड {(-)₹115.60 करोड़} और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड {(-)₹628.43 करोड़} के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति/प्रतिवर्तन।

5.8.5 उधार लेने पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 19 एनबीएफसी के संबंध में उधार पर इंड एएस को अपनाने का प्रभाव 0.63 प्रतिशत पर मामूली था, जो मुख्य रूप से आठ एनबीएफसी[79] के मामले में उधार के मूल्यांकन/आंकने में पुनर्वर्गीकरण और परिवर्तन के कारण था।

5.8.6 अन्य प्रभाव

इंड एएस के कार्यान्वयन ने लेखापरीक्षा नमूने में एनबीएफसी के वित्तीय संकेतकों और दक्षता मापदंडों को प्रभावित किया है, जिस पर नीचे चर्चा की गई है।

5.8.6.1 वित्तीय अनुपात में परिवर्तन

परिचालन और वित्तीय अनुपात किसी कंपनी की नकदी, परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा नमूने में एनबीएफसी जहां इंड एएस को अपनाने के कारण प्रमुख अनुपातों में बदलाव किया गया था, जिसका विवरण तालिका 5.3 के अनुसार हैं:

---

[79] एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज (पी) लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

तालिका 5.3: अनुपात पर इंड एएस को अपनाने का प्रभाव

अनुपात	एनबीएफसी जहाँ अनुपात में वृद्धि हुई	एनबीएफसी जहाँ अनुपात में कमी हुई	एनबीएफसी जहाँ कोई बदलाव नहीं था	एनबीएफसी जहाँ अनुपात में बदलाव हुआ >50%	एनबीएफसी जहाँ >50% तक अनुपात में वृद्धि/कमी हुई
निवल लाभ अनुपात[80] (एनपी अनुपात)	8	8	3	7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज (पी) लिमिटेड पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
निवल धन पर प्रतिफल[81] (आरओएन)	9	8	2	6	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड आईएफआईएन सिक्योरिटीज

[80]राजस्व के प्रति निवल लाभ का अनुपात।
[81]निवल धन के प्रति लाभ।

					फाइनेंस लिमिटेड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ऋण इक्विटी अनुपात[82] (डीई अनुपात)	9	7	3	1	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
प्रति शेयर आय (ईपीएस)	7	10	2	7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ब्याज कवरेज अनुपात (आईसी अनुपात)	6	7	6	3	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस

[82] *स्वामित्व वाली निधियों के प्रति कंपनी का ऋण।*

					लिमिटेड

पीएटी और निवल धन में बदलाव के कारण अनुपात में परिवर्तन हुआ जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 8.1 और 8.4 में चर्चा की गई है।

5.8.6.2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा एनबीएफसी की रेटिंग

एनबीएफसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से अपने उत्पादों जैसे जमा, वाणिज्यिक पेपर, डिबेंचर आदि को रेट करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा पूंजी और लीवरेज, परिसम्पत्ति, लाभप्रदता, नकदी, प्रबंधन और प्रणालियों, संसाधन प्रोफाइल आदि जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इंड एएस में परिवर्तन के बाद दो[83] एनबीएफसी के संबंध में रेटिंग में बदलाव किया गया था। हालांकि, यह बदलाव इंड एएस समायोजन के कारण नहीं हुआ। इसलिए इंड एएस के कार्यान्वयन का इन एनबीएफसी की रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा।

5.9 निष्कर्ष

यह देखा गया था कि एनबीएफसी द्वारा इंड एएस को अपनाने से कर के बाद लाभ में कमी (₹ 201.62 करोड़), राजस्व में वृद्धि (₹ 672.90 करोड़), कुल परिसंपत्तियों में कमी (₹ 6,252.04 करोड़) और निवल धन में कमी (₹ 7,921.73 करोड़) का संचयी प्रभाव पड़ा था। वित्तीय साधनों के उचित मूल्यांकन, आस्थगित कर के लेखाकरण, प्रत्याशित क्रेडिट हानि पद्धति को लागू करने और रोजगार के पश्चात् लाभों के प्रति देयताओं के मूल्यांकन के माध्यम से कर्मचारी के लाभों के लेखाकरण से संबंधित प्रमुख परिवर्तन किए गए। इंड एएस को उपनाने से प्रमुख परिचालन और वित्तीय अनुपातों पर भी प्रभाव पड़ा, जो कंपनी की नकदी, परिचालन क्षमता और लाभप्रदता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

---

[83] *एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।*

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि इस अध्याय पर देने के लिए उनकी कोई टिप्पणी नहीं हैं।

(आर. जी. विश्वनाथन)

नई दिल्ली **उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

दिनांक: 26.11.2021 **और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 29.11.2021 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**